न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 37/2019

1. रूपनारायण } पिसरान प्रभू
2. राधेश्याम }
3. कल्याण दत्तक पुत्र चिमन समस्त जाति ब्राहमण निवासीयान बीजलवाडा, तह0 श्रीमहावीरजी जिला करौली राज0

अपीलांट

बनाम

1. संतरा पत्नी स्व. रामचरण } समस्त जाति ब्राहम्ण, निवासी कमालपुरा, पोस्ट होडला,
2. संतोष पुत्री स्व. रामचरण } तहसील महवा, जिला दौसा राज0।
3. बिजेन्द्र पुत्र सम्पत्ति } समस्त जाति ब्राहम्ण, निवासी मेरेडा, तहसील टोडाभीम,
4. सरोज पुत्री सम्पत्ति } जिला करौली, राज0।
5. महेन्द्र पुत्र सम्पत्ति
6. सुरेन्द्र पुत्र सम्पत्ति
7. हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक, शाखा–टोडाभीम
8. तहसीलदार टोडाभीम, तहसील–टोडाभीम, जिला करौली
9. उप–पंजीयक टोडाभीम, तहसील–टोडाभीम, जिला करौली
10. राजस्थान सरकार, जरिये जिला कलेक्टर, करौली।

रेस्पो0

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम मु0न0 95/2014 प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 08.07.19)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपी0 की और से श्री सुनील कुमार जिंदल
2. रेस्पो0 की और से श्री सुरेश चंद शर्मा

निर्णय दिनांक: **22.03.2021**

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.25 13:49:55 IST
Reason: SelfAttested

1. अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम के मु0न0 95/14 निर्णय दिनांक 08.07.19 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय मे वादीगण ने एक वाद पत्र दावा बाबत घोषणा, तकासमा, इन्द्राज दुरस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा तहत धारा 88,188, 207 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, इस आशय का पेश

Scanned with CamScanner

किया कि नया खाता संख्या–71, आराजी ख.नं. 289 रकबा 0.06 हैक्टयर, कुल किता 01 कुल क्षेत्रफल 0.06 हैक्टेयर वाके ग्राम बीजलवाडा, तहसील टोडाभीम जिला करौली में स्थित है। जिस आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 01 ल0 02 व 03 ल0 06 की माता स्व. सम्पत्ति का हिस्सा 03/04 एवं वादीगण का हिस्सा 01/04 इन्द्राज है। नया खाता संख्या–72, आराजी ख.नं. 25 रकबा 0.38 हैक्टयर, ख.नं. 28 रकबा 0.45 हैक्टयर, ख.नं. 87 रकबा 0.12 हैक्टयर, ख.नं. 88 रकबा 0.13 हैक्टयर कुल किता 04 कुल क्षेत्रफल 1.08 हैक्टयर वाके ग्राम बीजलबाडा, तहसील टोडाभीम जिला करौली में स्थित है। जिस आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 01 ल0 02 व 03 ल0 06 की माता स्व. सम्पत्ति का हिस्सा 3/8 एवं वादीगण का हिस्सा 1/8 एवं प्रतिवादी संख्या 07 का हिस्सा 1/2 इन्द्राज है। नया खाता संख्या 73, आराजी ख.नं. 147 रकबा 0.57 हैक्टयर, ख.नं. 157 रकबा 0.16 हैक्टयर कुल किता 02 कुल क्षेत्रफल 0.73 हैक्टयर वाके ग्राम बीजलबाडा, तहसील टोडाभीम जिला करौली में स्थित है। जिस आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 01 ल0 02 एवं वादीगण का हिस्सा 2/3 एवं प्रतिवादी संख्या 07 का हिस्सा 1/3 इन्द्राज है। नया खाता संख्या 74, आराजी ख.नं. 89 रकबा 0.36 हैक्टयर, ख.नं. 247 रकबा 0.06 हैक्टयर, ख.नं. 248 रकबा 0.02 हैक्टयर, ख.नं. 249 रकबा 0.72 हैक्टयर, ख.नं. 250 रकबा 0.03 हैक्टयर, ख.नं. 252 रकबा 0. 25 हैक्टयर, ख.नं. 463 रकबा 0.69 हैक्टयर, ख.नं. 467 रकबा 0.42 हैक्टयर, ख.नं. 468 रकबा 0.42 हैक्टयर कुल किता 9 कुल क्षेत्रफल 2.97 हैक्टयर वाके ग्राम बीजलबाडा, तहसील टोडाभीम जिला करौली में स्थित है। जिस आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 01 ल0 02 एवं प्रतिवादी संख्या 07 का नाम इन्द्राज है एवं उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 08 को रहन रखने का इन्द्राज रहा है जो खाता रहन मुक्त हो गया है। वादी संख्या 02 संतोष स्व. रामचरण की पुत्री एवं वादी संख्या 01 स्व. रामचरण की पत्नि है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही बुजुर्ग की संतान है। प्रतिवादी संख्या 01 के पूर्वज स्व. सोनपाल के दो पुत्र प्रभू एवं चिमंन थे जो दोनों फोत हो चुके है। प्रभू के चार पुत्र रूपनारायण, राधेश्याम, रामचरण व कल्याण थे तथा एक पुत्री सम्पत्ति थी। चिमंन ने अपने जीवनकाल में प्रभू के जायन्दा पुत्र कल्याण को गोद लिया था। चिमंन की मृत्यु प्रभू की मृत्यु के पूर्व ही हो गई थी। इस प्रकार कल्याण का प्रभू की चल–अचल सम्पत्ति का हिस्सा समाप्त हो गया और प्रतिवादी संख्या 07 कल्याण को चिमंन की समस्त चल–अचल सम्पत्ति का हिस्सा प्राप्त हुआ है। प्रभू का देहान्त सन् 1988 में हो गया था एवं रामचरण के वारिसान के रूप में रामचरण की एक मात्र सन्तान पुत्री वादी संख्या 02 संतोष एवं रामचरण की पत्नि वादी संख्या 01 संतरा है। इस प्रकार स्व. रामचरण के हक हिस्सा के सम्बंध में वादीगण ही ह[illegible] है। प्रकरण में विवादित सम्पत्ति, पैतृक सम्पत्ति है तथा सोनपाल के खातेदारी भूमि में [illegible] एवं चिमंन का बराबर 1/2 हक हिस्सा निहित रहा है। तथा प्रभू की मृत्यु के बाद प्रभू के 1/2 हक हिस्से के सम्बंध में प्रभू के वारिसान उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 01 से 06 एवं प्रभू के पुत्र रामचरण के वारिसान वादीगण हक हिस्सेदार अधिकारी है। स्व. श्री प्रभू की पुत्री सम्पत्ति का भी देहांत हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.25 13:49:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

गया था एवं सम्पत्ति के वारिसान के रूप में प्रतिवादी संख्या 03 से 06 तक पक्षकार बनाये गये है। वादीगण स्व. रामचरण के साथ ग्राम बीजलवाडा में निवास करते हुये विवादित भूमि के अपने हक हिस्से के सम्बंध में मौके पर काबिज काश्त रहे है तथा रामचरण की मृत्यु के पश्चात् रामचरण के हिस्से की भूमि को वादीगण द्वारा काबिज काश्त किया गया। विवादित भूमि को प्रतिवादी संख्या 01 से 07 एवं वादीगण संयुक्त सामलाती रूप से काश्त कर उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 और वादीगण संयुक्त सामलाती पैतृक भूमि को मनबत के आधार पर बांट कर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त पक्षकारों में कानून मिट्स एण्ड बाउन्डरस के आधार पर कोई बंटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादी संख्या 07 कल्याण का नाम ओरस पिता की खातेदारी में दर्ज है तथा दत्तक पिता की खातेदारी में भी दर्ज है। इसलिए कल्याण का नाम ओरस पिता की खातेदारी से हटाया जावें। वादीगण ने प्रतिवादीगण से अपने कब्जे व हिस्से की भूमि की खातेदारी को अलग कराने को कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में स्व. रामचरण के हिस्से की भूमि में हिस्सेदार व खातेदार के रूप में इन्द्राज दुरस्त किया जावें तथा प्रतिवादी संख्या 07 कल्याण का नाम ओरस पिता के नाम की खातेदारी में से हटाया जावें एवं उक्त भूमि के सम्बंध में प्रतिवादीगण संख्या 01 ल0 07 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अपील इस न्यायालय मे पेश की गई।

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।

3. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में अपील के वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून एंव रूयेदाद मिसल होने से लायके मंसूखी है। अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांट/प्रतिवादीगण नं. 01, 02 व 07 द्वारा प्रस्तुत जबाव दावे के तथ्यों पर गौर नहीं करके केवल रिकॉर्ड खातेदारी के आधार पर दावा डिक्री करने में कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अपी0/प्रतिवादीगण नं. 01, 02 व 07 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी प्रदर्श डी–1, तारीखी–03.08.2015 की गलत व्याख्या कर निर्णय पारित किया गया है, जबकि रेस्पो0 नं. 01 द्वारा मौखिक रूप से अपी0 से यह तय किया कि रेस्पो0 नं. 02 की शादी का समस्त खर्चा अपी0 वहन करेंगे तथा समस्त सोने चांदी के बदले में विवादित आराजीयात ख.नं. 289 रकबा 06 ऐयर में 1/4 हिस्सा तथा ख.नं. 25 रकबा 38 ऐयर, ख.नं. 28 रकबा 45 ऐयर, ख.नं. 87 रकबा 12 ऐयर, ख.नं. 88 रकबा ऐयर स्थित ग्राम बीजलबाडा में 1/8 हिस्सा, ख.नं. 145 रकबा 57 ऐयर, ख.नं. 157 रकबा 16 ऐयर स्थित ग्राम बीजलबाडा के रेस्पो0 नं. 01 व 02 के हिस्सें को तथा भूमि ख.नं. 89 रकबा 36 ऐयर, ख.नं. 247 रकबा 69

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.25 13:49:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

ऐयर, ख.नं. 248 ऐयर 2 ऐयर, ख.नं. 249 रकबा 72 ऐयर, ख.नं. 250 रकबा 3 ऐयर, ख.नं. 52 रकबा 25 ऐयर, ख.नं. 463 रकबा 69 ऐयर, ख.नं. 467 रकबा 42 ऐयर, ख.नं.468 रकबा 42 ऐयर स्थित ग्राम बीजलबाडा के 1/4 हिस्सा अपी0 का रहेगा। उक्त आराजीयात से रेस्पो0 नं. 01 व 02 का कोई सम्बंध नहीं रहेगा। तभी से ही उक्त आराजीयात पर अपी0 का मौके पर कब्जा चला आ रहा है तथा गांव के पंचो द्वारा भी अपी0 के हक में पंचनामा लिखा गया है जो प्रदर्श डी–1 है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में कहीं भी यह साबित नहीं होता है कि रेस्पो0 01 व 02 का उक्त विवादित भूमि पर कब्जा रहा हो। जबकि अपी0 द्वारा उक्त आराजीयात पर काबिज होने के बाबत् स्वतंत्र गवाह जगदीश प्रसाद, रामस्वरूप, रूग्मी आदि की मौखिक साक्ष्य से तथा स्वयं की मौखिक साक्ष्य से अपी0 का कब्जा होना बखूबी साबित होता है। अधिनस्थ न्यायायल ने तनकी नं. 02, 03, 04, 05 का विस्तृत विवेचन किये बिना ही केवल रिकॉर्ड में खातेदारी होने के आधार पर ही उक्त समस्त तनकीयात को अपी0 के विरूद्ध साबित कर भारी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपी0 द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेज साक्ष्यों पर गौर नहीं किया तथा आराजी पर रेस्पो0 नं. 01 व 02 का कब्जा नहीं होने के बावजूद भी रेस्पो0 नं. 01 व 02 को खातेदारी एवं तकास्मा कर भारी कानूनी भूल की है जबकि विधि अनुरूप बिना कब्जे के खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। अतः अपील पेश कर अपीलांट का निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ उपजिला कलेक्टर टोडाभीम द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.07.2019 अपास्त फरमाया जावे।

4. रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता ने जबाब बहस मे तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि नया खाता संख्या–71, आराजी ख.नं. 289 रकबा 0.06 हैक्टयर, कुल किता 01 कुल क्षेत्रफल 0.06 हैक्टेयर वाके ग्राम बीजलवाडा, तहसील टोडाभीम जिला करौली में स्थित है। जिस आराजी के राजस्व रिकार्ड में अपी0 संख्या 01 ल0 02 व रेस्पो0 सं. 03 ल0 06 की माता स्व. सम्पत्ति का हिस्सा 03/04 एवं रेस्पो0 सं. 01 व 02 का हिस्सा 01/04 इन्द्राज है। नया खाता संख्या–72, आराजी ख.नं. 25 रकबा 0.38 हैक्टयर, ख.नं. 28 रकबा 0.45 हैक्टयर, ख.नं. 87 रकबा 0.12 हैक्टयर, ख.नं. 88 रकबा 0.13 हैक्टयर कुल किता 04 कुल क्षेत्रफल 1.08 हैक्टयर वाके ग्राम बीजलबाडा, तहसील टोडाभीम जिला करौली में स्थित है। जिस आराजी के राजस्व रिकार्ड में अपी0 संख्या 01 ल0 02 व रेस्पो0 सं. 03 ल0 06 की माता स्व. सम्पत्ति का हिस्सा 3/8 एवं रेस्पो0 सं. 01 ल0 02 का हिस्सा 1/8 एवं अपी0 संख्या 03 का हिस्सा 1/2 इन्द्राज है। नया खाता संख्या 73, [illegible] हैक्टयर, ख.नं. 157 रकबा 0.16 हैक्टयर कुल किता 02 कुल क्षेत्रफल 0.73 [illegible] ग्राम बीजलबाडा, तहसील टोडाभीम जिला करौली में स्थित है। जिस आराजी के [illegible] रिकार्ड में अपी0 संख्या 01 ल0 02 एवं रेस्पो0 सं. 01 ल0 02 का हिस्सा 2/3 एवं अपी0 [illegible] 03 का हिस्सा 1/3 इन्द्राज है। नया खाता संख्या 74, आराजी ख.नं. 89 रकबा 0.36 हैक्टयर, ख.नं. 247 रकबा 0.06 हैक्टयर, ख.नं. 248 रकबा 0.02 हैक्टयर, ख.नं. 249 रकबा 0.72 हैक्टयर, ख.नं. 250 रकबा 0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.25 13:49:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

03 हैक्टयर, ख.नं. 252 रकबा 0.25 हैक्टयर, ख.नं. 463 रकवा 0.69 हैक्टयर, ख.नं. 467 रकवा 0.42 हैक्टयर, ख.नं. 468 रकबा 0.42 हैक्टयर कुल किता 9 कुल क्षेत्रफल 2.97 हैक्टयर वाके ग्राम बीजलबाडा, तहसील टोडाभीम जिला करौली में स्थित है। जिस आराजी के राजस्व रिकार्ड में अपी0 संख्या 01 ला0 02 एवं अपी0 संख्या 03 का नाम इन्द्राज है एवं उक्त भूमि रेस्पो0 संख्या 07 को रहन रखने का इन्द्राज रहा है जो खाता रहन मुक्त हो गया है। रेस्पो0 संख्या 02 संतोष स्व. रामचरण की पुत्री एवं रेस्पो संख्या 01 स्व. रामचरण की पत्नि है। अपी0 संख्या 01 के पूर्वज स्व. सोनपाल के दो पुत्र प्रभू एवं चिमन हैं चिमन ने अपने जीवनकाल में प्रभू के जायन्दा पुत्र कल्याण को गोद लिया था। चिमन की मृत्यु प्रभू की मृत्यु के पूर्व ही हो गई थी। प्रभू के पुत्र संतान के रूप में रूपनारायण, राधेश्याम, रामचरण एवं कल्याण तथा पुत्री के रूप में सम्पत्ति हुई। प्रभू के जायन्दा पुत्र कल्याण को चिमन ने गोद ले लिया था इस प्रकार कल्याण का प्रभू की चल–अचल सम्पत्ति का हिस्सा समाप्त हो गया और अपी0 संख्या 03 कल्याण को चिमन की समस्त चल–अचल सम्पत्ति का हिस्सा प्राप्त हुआ है। प्रभू का देहान्त सन् 1988 में हो गया था एवं रामचरण के वारिसान के रूप में रामचरण की एक मात्र सन्तान पुत्री रेस्पो0 संख्या 02 संतोष एवं रामचरण की पत्नि रेस्पो0 संख्यां 01 संतरा है। इस प्रकार स्व. रामचरण के हक हिस्सा के सम्बंध में रेस्पो0 01 व 02 ही हक अधिकारी है। प्रकरण में विवादित सम्पत्ति, पैतृक सम्पत्ति है तथा सोनपाल के खातेदारी भूमि में प्रभू एवं चिमन का बराबर 1/2 हक हिस्सा निहित रहा है। तथा प्रभू की मृत्यु के बाद प्रभू के 1/2 हक हिस्से के सम्बंध में प्रभू के वारिसान उत्तराधिकारी अपी0 संख्या 01 ल0 02 व रेस्पो0 सं. 03 ल0 06 एवं प्रभू के पुत्र रामचरण के वारिस रेस्पो0 सं. 01 व 02 हक हिस्सेदार अधिकारी है। रेस्पो0 सं. 01 ल0 02 स्व. रामचरण के साथ ग्राम बीजलबाडा में निवास करते हुये विवादित भूमि के अपने हक हिस्से के सम्बंध में मौके पर काबिज काश्त रहे है तथा रामचरण की मृत्यु के पश्चात् रामचरण के हिस्से की भूमि को उक्त रेस्पो0 द्वारा काबिज काश्त किया गया। विवादित भूमि को अपी0 एवं रेस्पो0 संयुक्त सामलाती रूप से काश्त कर उपयोग उपभोग कर रहे है एवं पैतृक भूमि को मनबठ के आधार पर बांट कर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त पक्षकारों में कानून मिट्स एण्ड बाउन्डस के आधार पर कोई बंटवारा नहीं हुआ है। जब तक कानूनन बंटवारा नहीं होता प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच भूमि पर कब्जा माना जाता है। उक्त रेस्पो0 कम पढी लिखी ग्रामीण परिवेश की महिला है, जबकि अपी0 पढे लिखे समझदार व्यक्ति है। अपी0 द्वारा उक्त रेस्पो0 को उनके हक हिस्से की भूमि के सम्बंध में निश्चित रहकर काश्त करने का आश्वासन दिया जाता रहा। अपी0 एवं रेस्पो0 आपस में पारिवारिक रिश्तेदार होने के कारण रेस्पो0 को अपी0 पर पूरा विश्वास रहा है। अपी0 संख्या 01 व 02 उक्त रेस्पो0 के कब्जे की विवादित भूमि को किसी दिगर भू–माफिया को दिखा रहे थे तो उक्त रेस्पो0 ने अपी0 संख्या 01 व 02 से सवाल जवाब किया तो उक्त अपी0 रेस्पो0 से झगडा करने लगे एवं धमकी देने लगे तथा कहने लगे की राजस्व रिकार्ड में तुम्हारा कोई नाम नहीं है, हमने तुमको धोखे में रखा और फोती रामचरण की भूमि में तुम्हारे

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.25 13:49:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

...म कोई नामान्तकरण नहीं खुलवाया। जिस पर उक्त रेस्पो0 द्वारा तत्काल राजस्व रिकार्ड की जानकारी प्राप्त की गई तो उक्त रेस्पो0 की जानकारी में आया की अपी0 संख्या 01 व 02 ने रामचरण की मृत्यु के बाद फोती का नामान्तकरण उक्त रेस्पो0 के नाम नहीं खुलवाया है तथा कुछ खातों के राजस्व रिकार्ड में रामचरण के हिस्से के सम्बंध में रामचरण बेवा नामालूम दर्ज है। इसके पश्चात् उक्त रेस्पो0 द्वारा तत्काल पैतृक भूमि के सम्बंध में सही रूप से नामान्तकरण खोले जाने एवं नामान्तकरण दुरस्त करने के सम्बंध में धारा–166, भू-राजस्व(भू–अभिलेख) अधिनियम–1957(नियम 166) के तहत एवं अन्य तथ्यों का उल्लेख करते हुये प्रार्थना पत्र दिनांक 05.02.2014 को भरतपुर संभागीय आयुक्त को दिया गया एवं संभागीय आयुक्त द्वारा जिला कलेक्टर, करौली को प्रार्थना पत्र नियम अनुसार कार्यवाही के लिए प्रेषित किया गया। जिस प्रार्थना पत्र पर राजस्व कर्मचारीयों द्वारा नियमानुसार रूप से कार्यवाही की गई एवं वाद जांच उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम के आदेश द्वारा तहसीलदार टोडाभीम एवं सम्बंधित पटवारी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई एवं खाता संख्या 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 की भूमि के सम्बंध में स्व. रामचरण के हक हिस्से के सम्बंध उक्त रेस्पो0 का हक हिस्सा मानने सम्बंधित आदेश किया गया जिस हक हिस्से के सम्बंध में नामान्तकरण संख्या 188 दिनांक 30.04.2014 रामचरण बेवा नामालूम के स्थान पर उक्त रेस्पो0 का नाम इन्द्राज/स्वीकार किया गया और राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त किया गया। इस प्रकार उक्त रेस्पो0 उक्त विवादित पैतृक भूमि के सम्बंध में हक हिस्सेदार व हक अधिकारी है। उक्त रेस्पो0 के हिस्से को पूर्व में रामचरण बेवा नामालूम दर्ज किया हुआ था, जिसे नामान्तकरण संख्या 188 द्वारा दुरस्त किया जाकर उक्त रेस्पो0 का नाम इन्द्राज किया गया है। उक्त रेस्पो0 का नामान्तकरण दुरस्त होने के पश्चात् सम्बंधित राजस्व रिकॉर्ड की नकले प्राप्त की गई तो पता लगा कि अपी0 संख्या 03 के हक हिस्से के सम्बंध में राजस्व रिकॉर्ड में कुछ स्थानों पर गलत इन्द्राज किया हुआ है क्योंकि कल्याण पुत्र स्व. चिम्मन के दत्तक पुत्र के रूप में रहा है और कानूनन कल्याण को चिमंन के हक हिस्से की भूमि में ही हक हिस्सा मिलना चाहिए। गोद जाने के कारण कल्याण का स्व प्रभू के हक हिस्से की भूमि में कोई हक अधिकार नहीं है। चिमंन की मृत्यु के पश्चात् चिम्मन की फोती का नामान्तकरण अपी0 संख्या 03 कल्याण के नाम खुला हुआ है किन्तु कुछ स्थानों पर गलती से अपी0 संख्या 03 कल्याण को पुत्र प्रभू के रूप में भी हिस्सेदार दर्ज किया है जो गलत है। अपी0 संख्या 03 का नाम कल्याण पुत्र प्रभू के रूप में गलत रूप से इन्द्राज है जो दुरस्त किये जाने योग्य है। राजस्व रिकॉर्ड में सम्पत्ति पुत्री प्रभू का अंकन होने से सहवन ... है। अपी0 संख्या 03 कल्याण बहुत ही होशियार व्यक्ति है जो विवादित पैतृक भूमि में ... से ज्यादा की भूमि हडपना चाहता है। अपी0 संख्या 03 की गलत इन्द्राज को ... हेतु भी इन्द्राज दुरस्ती के सम्बंध में कोई कार्यवाही नहीं की तथा अपी0 को ... मिट्स एण्ड बाउन्डस के आधार पर तकासमा कराने के बाबत् कहा गया तो अपी0 ने तकासमा कराने से साफ इन्कार कर दिया। उक्त रेस्पो0 विवादित भूमि में स्वयं के हक हिस्से के सम्बंध में कानूनी तकासमा

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.25 13:49:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अलग खाता कायम करवाने, अलग लगान निर्धारित कराने एवं अपने हिस्से का ...कर अलग खाता कायम करवाने के हक अधिकारी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिपूर्वक अपीलाधीन निर्णय ...त करवाने के हक अधिकारी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिपूर्वक अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जाये एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री यथावत रखा जावे।

. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषको द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया, पत्रावलीयों का ...पान्त अवलोकन किया गया।

...प्रकरण के परीक्षण से स्पष्ट होता है कि राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी सम्वत 2070–73 ...के ग्राम बीजलवाडा, टोडाभीम के खाता संख्या 71 में खसरा नम्बर 289 रकबा 0.06 है0 ...पानारायण, राधेश्याम पिसरान प्रभु, सम्पति पुत्री प्रभु हिस्सा बराबर 3/4 सन्तोष पुत्री ...मचरण, संतरा बेवा रामचरण हिस्सा बराबर 1/4 जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खातेदार दर्ज ...। खाता संख्या 72 में खसरा नम्बर 25 रकबा 0.38 है0, खसरा नम्बर 28 रकबा 0.45 है0, ...सरा नम्बर 87 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 88 रकबा 0.13 है0 कुल किता 4 कुल रकबा ...08 है0 रूपनारायण, राधेश्याम पि0 प्रभु सम्पति पुत्री प्रभु हिस्सा बराबर 3/8, संतोष पुत्री ...मचरण, संतरा बेवा रामचरण हिस्सा बराबर 1/8, कल्याण पि0 मु0 चिम्मन हिस्सा 1/2 ...ाह्मण सा0 देह खातेदार दर्ज है, खाता संख्या 73 में खसरा नम्बर 147 रकबा 0.57 है0, ...सरा नम्बर 157 रकबा 0.16 है0 कुल किता 2 रकबा 0.73 है0 रूपनारायण, राधेश्याम, ...मचरण बेवा नामालुम कल्याण पि. प्रभुलाल हिस्सा 2/3 कल्याण पि0मु. चिम्मन हिस्सा 1/3 ...ाह्मण सा0 देह खातेदार दर्ज है, नामान्तकरण संख्या 188 से सन्तरा पत्नी स्व. रामचरण, ...न्तोष पुत्री रामचरण दर्ज हुआ है। खाता संख्या 74 में खसरा नम्बर 89 रकबा 0.36 है0, ...सरा नम्बर 247 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 248 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 249 ...कबा 0.72 है0, खसरा नम्बर 250 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 252 रकबा 0.25 है0, खसरा ...म्बर 463 रकबा 0.69 है0, खसरा नम्बर 467 रकबा 0.42 है0, खसरा नम्बर 468 रकबा 0.42 ...है0, कुल किता 9 कुल रकबा 2.97 है0 रूपनारायण, राधेश्याम, रामचरण बेवा नामलुम कल्याण पि. प्रभु ब्राह्मण सा0 देह खातेदार राहिन हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा टोडाभीम ...र्तहीन दर्ज है, नामान्तकरण संख्या 188 से सन्तरा पत्नी स्व. रामचरण, सन्तोष पुत्री रामचरण दर्ज हुआ है। वादपत्र के मद संख्या 6 में सजरा खानदान उल्लेखित किया गया है। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा दिनांक 16.12.15 के मद ... सजरा खानदान को स्वीकार किया है। सजरा खानदान के अनुसार ... वादपत्र के मद संख्या 6 में विवादित आराजी को पैतृक ... में पैतृक आराजी के विपरीत कोई कथन नहीं किया गया है। अतः वाद... आराजी पैतृक आराजी होना सुस्पष्ट है। अपील मीमो के बिन्दु सं0 6 में ग्राम बीजलवाडा के पंचो द्वारा अपीलांट के हक में एक पंचनामा लिखा गया जो प्रदर्श डी–1 है, कथन किया है। पत्रावली पर एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.25 13:49:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

लिखावट उपलब्ध है इस लिखावट पर एक हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 03.08.15 अंकित है। वाद पत्र का जवाब दावा दिनांक 16.12.15 को प्रस्तुत किया है। जवाब दावा में इस प्रकार की लिखावट होने का कथन नहीं किया गया है। लिखावट में वादीगण के हस्ताक्षर नहीं है। बिना हितबद्ध पक्षकारो की सहमति के लिखावट/दस्तावेज कोई महत्व नहीं रखता है। इस दस्तावेज से किसी प्रकार के अधिकार जनित नहीं होते है। वादपत्र के बिन्दु सं0 6 में उल्लेखित सजरा खानदान में कल्याण को दत्तक पुत्र बताया गया है। इस सजरा खानदान को जवाब दावा के मद सं0 6 में स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 राधेश्याम द्वारा जिरह बयान में स्वीकार किया है कि "चिम्मन के कोई संतान नहीं थी। चिम्मन के कल्याण गोद चला गया। चिम्मन की आराजी पर कल्याण सहाय काबिज है।" प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 08.07.2019 में समस्त तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए तनकीवार विस्तृत विवेचन व विश्लेषण कर पूर्णतः विधि अनुरूप पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इसलिए अपील खारिज योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर, टोडाभीम के मु0नं0 95/2014 निर्णय दिनांक 08.07.2019 को यथावत रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 22.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22.3.21

(बी.एल.रमण)

राजस्व अपील प्राधिकारी

सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.25 13:49:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner